"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 282] रायपुर, सोमवार, दिनांक 10 जुलाई 2017 —— आषाढ़ 19, शक 1939

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 जून 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-16/2016/एक-7. —— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) विभाग चतुर्थ श्रेणी सेवा में भर्ती तथा सेवा के शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**- (1) ये नियम "छत्तीसगढ़, मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) विभाग चतुर्थ श्रेणी भर्ती नियम, 2017" कहलायेंगे.
(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **लागू होना.**- ये नियम, अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे.

3. **परिभाषाएं.**- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) सेवा के संबंध में, **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है, अनुसूची के कॉलम 13 में यथा उल्लिखित नियुक्ति प्राधिकारी;
(ख) **"समिति"** से अभिप्रेत है नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित चयन समिति;
(ग) **"शासन"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;
(घ) **"राज्यपाल"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;
(ङ) **"अन्य पिछड़ा वर्ग"** से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़ा वर्ग;
(च) **"अनुसूची"** से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
(छ) **"अनुसूचित जाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;
(ज) **"अनुसूचित जनजाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;
(झ) **"सेवा"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) चतुर्थ श्रेणी सेवा;
(ट) **"राज्य"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य.

4. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**- सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, पदों में भर्ती का तरीका,आयु सीमा, अर्हतायें एवं पदों से संबंधित सेवा की अन्य शर्तें, इन नियमों से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे सम्मिलित पदों की संख्या "अनुसूची-एक" में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होंगे :

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों के संख्या तथा वेतनमान में, समय-समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा.

5. **भर्ती का तरीका.**- (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती, निम्नलिखित तरीकों द्वारा की जायेगी, अर्थात् :-

(क) प्रतियोगी परीक्षा या मेरिट के आधार पर चयन के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा;
(ख) सेवा के सदस्यों के पदोन्नति द्वारा.

6. **आरक्षण.**- (1) सीधी भर्ती के पदों के लिए आरक्षण, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबन्धों के अनुसार होगा तथा उक्त अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे.
(2) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार होगा.
(3) महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार होगा.

7. **शिथिलीकरण.**- इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है :

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो.

8. **व्यावृत्ति.**- इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, ऐसे शासकीय कर्मचारी, जिसकी मृत्यु सेवावधि के दौरान हुई हो, के परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति, नि:शक्त व्यक्तियों तथा अन्य श्रेणियों से संबंधित अन्य व्यक्तियों के लिये उपबंधित अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में, समय-समय पर, बनाये गये नियमों या जारी किए गए आदेशों के अनुसार विनियमित होगी.

9. **निरसन.**- इन नियमों के तत्स्थानी तथा इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते है.

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

अनुसूची
(नियम 2 एवं 4 देखिये)

स. क्र.	पद का नाम	कर्तव्य पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान एवं ग्रेड वेतन	सीधी भर्ती या पदोन्नति के माध्यम से या स्थानान्तरण के माध्यम सहित विभिन्न तरीकों के द्वारा भर्ती का प्रतिशत	केवल सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	केवल सीधी भर्ती हेतु आवश्यकता शैक्षणिक अर्हता	परिवीक्षा या परीक्षण की कालावधि यदि कोई हो	पदोन्नति के मामले में अर्हकारी सेवा की कालावधि	पद जिससे पदोन्नति की जानी है.	सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के लिये चयन समिति	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	भृत्य	03	चतुर्थ श्रेणी	4750-7440+ ग्रे. वे. - 1300	100% सीधी भर्ती	18 से 30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 8वी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए	-	-	-	-	मुख्य तकनीकी परीक्षक
2.	चौकीदार	01	तदैव	4750-7440+ ग्रे. वे. - 1300	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	-	-	7	तदैव

टीप :- सीधी भर्ती के मामले में, ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक निवासी है के लिए, उच्चतर आयु सीमा, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी.

नया रायपुर, दिनांक 27 जून 2017

क्रमांक एफ 3-16/2016/एक-7. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27-6-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

Naya Raipur, the 27th June 2017

NOTIFICATION

No. F 3-16/2016/एक-7. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment and conditions of service of the Chhattisgarh Chief Technical Examiner (Vigilance) Department Class-IV Service, namely :-

RULES

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Chhattisgarh Chief Technical Examiner (Vigilance) Department Class-IV Service Recruitment Rules, 2017.
(2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Application.** - These rules shall apply to the posts specified in column (2) of the Schedule.

3. **Definitions.** - In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "**Appointing Authority**" in respect of Services means the appointing Authority as mentioned in column (13) of the Schedule;
(b) "**Committee**" means Selection committee approved by the appointing authority;
(c) "**Government**" means the Government of Chhattisgarh;
(d) "**Governor**" means the Governor of Chhattisgarh;
(e) "**Other backward classes**" means Other backward classes of citizens as specified by the state government vide, notification No. F 8-5XXV-4-84, dated 26th December, 1984 as amended from time to time;
(f) "**Schedule**" means a schedule appended to these rules;
(g) "**Scheduled Castes**" means the Schedule Castes as specified in relation to this state under Article 341 of the Constitution of India;
(h) "**Scheduled Tribes**" means the Schedule Tribes as specified in relation to this state under Article 342 of the Constitution of India;
(i) "**Service**" means the Chhattisgarh Chief Technical Examiner (Vigilance) Department Class-IV Service;
(j) "**State**" means the State of Chhattisgarh.

4. **Classification, scale of pay etc.**- The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto, the method of recruitment of the posts, age limit, qualifications and other conditions of service relating to the posts shall be as specified in the Schedule appended to these rules:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

5. **Method of recruitment**.- Recruitment to the Service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely :-

(a) By direct recruitment through competitive examination/selection on the basis of merit;
(b) By promotion of the members of the Service.

6. **Reservation.** - (1) Reservation for the posts of direct recruitment shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and instructions issued form time to time, under the said Act by the General Administration Department of the Government shall apply.
(2) Reservation in promotion for the candidates of Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.
(3) Reservation for women candidates shall be made in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Service (Special Provision for Appointment of women) Rules, 1997.

7. **Relaxation**.- Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person, to whom these rules apply in such manner, as may appear to him to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

8. **Saving.**- Nothing in these rules shall affect the reservation and other concessions provided to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen, Compassionate appointment to one member of the family of the Government employees who dies during service period, persons with disability and persons belonging to other categories, shall be regulated in accordance with the rules made of orders issued by the State Government, from time to time, in this regard.

9. **Repeal**.- All rules, corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules :

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. D. SINGH, Secretary.

SCHEDULE
(See rule 2 and 4)

No.	Name of the post	Number of duty posts	Classification	Pay scale and grade pay	Percentage of recruitment through various including direct recruitment or through promotion or through transfer	Only for direct recruitment		Period of probation or trial if any	Qualifying period of Services in case of promotions	Posts from which the promotion is to be made	Selection committee for direct recruitment and promotion	Appointing Authority
						Age limit	Necessary Education Qualification					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Peon	03	Class-IV	4750-7440+ G. P. -1300	100% direct recruitment	18-30 years	Should have passed 8th examination from any recognized Board	-	-	-	-	Chief Technical Examination
2.	Watchman	01	-do-	4750-7440+ G. P. -1300	-do-	-do-	-do-	-do-	-	-	-	-do-

Note - In case of direct recruitment, the upper age limit shall be relaxable for candidates who are bonafide resident of State of Chhattisgarh, as per the instruction issued by the General Administration Department of the Government, from time to time.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017 .